राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2015/5568 भोपाल, दिनांक 26/05/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

विषय :– वर्ष 2015–16 में पोषण–पुनर्वास केन्द्रों के मानव संसाधन हेतु दिशा–निर्देश ।

*****

शिशु स्वास्थ्य –पोषण, वर्ष 2015–16/परिपत्र क्रमांक –8

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में गंभीर कुपोषित बच्चों के मानक प्रबंधन हेतु प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्रों में व्यवस्थापन हेतु महिला पोषण प्रशिक्षक, ए.एन.एम./स्टाफ नर्स, महिला कुक, महिला केयर टेकर तथा 1 निहित सफाईकर्मी की पदस्थापना की गई है। विगत वर्ष से प्रत्येक जिला पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु 1 संविदा चिकित्सा अधिकारी (एम.ओ. एन.आर.सी.) की भी पदस्थापना की गई है जो कि सर्पोटिव सुपरविजन कर, जिला/विकासखण्ड में संचालित पोषण पुर्नवास केन्द्रों में गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करेंगे। पोषण पुर्नवास केन्द्र में पदस्थ मानव संसाधन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

मानव संसाधन की नियुक्ति –

- पोषण पुनर्वास केन्द्रों में संविदा, नियमित एवं दैनिक वेतनभोगी मानव संसाधन की नियुक्ति हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित हैः–

क्र.	10 बिस्तरीय संस्थान हेतु	20 बिस्तरीय संस्थान हेतु
1	1 महिला पोषण प्रशिक्षक	1 महिला पोषण प्रशिक्षक
2	2 नर्सिंग स्टाफ (1 संविदा ए.एन.एम. + 1 नियमित ए.एन.एम./स्टाफ नर्स)	3 नर्सिंग स्टाफ (1 संविदा ए.एन.एम. + 2 नियमित ए.एन.एम./स्टाफ नर्स)
3	1 महिला कुक	2 महिला कुक
4	2 महिला केयर टेकर	3 महिला केयर टेकर
5	1 पूर्ण कालिक सफाई कर्मी	1 पूर्ण कालिक सफाई कर्मी

- पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर नियुक्त मानव संसाधन की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, कार्यावधि एवं मासिक मानदेय के संबंध में निम्न निर्देश हैः–

1. **जिला संविदा चिकित्सा अधिकारी (एम.ओ. एन.आर.सी.)**
   - **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता**– स्नातक चिकित्सक (एम.बी.बी.एस)
   - **न्यूनतम मूल मासिक मानदेय :– ₹ 45,000/–**
   - **दैनिक कार्यावधि – प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक**

- **<u>कार्यदायित्व</u>**
    - सप्ताह के 3 दिवस क्रमशः सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जिला अस्पताल में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्र में सेवाऐं प्रदान करेंगे एवं शेष दिवस क्रमशः गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को जिले में संचालित अन्य पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चत करने हेतु कर्मचारियों की हेण्ड–होल्डिंग एवं सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे।
    - पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों की प्रतिदिन प्रातः नियत समय पर चिकित्सकीय परीक्षण करना।
    - परीक्षण उपरांत दिये गए चिकित्सकीय परामर्श को सैम चार्ट में इन्द्राज करना।
    - पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाईयाँ एवं चिकित्सकीय आहार की निर्धारित मापदण्डानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी का निरंतर मूल्यांकन करना।
    - समस्त पोषण पुनर्वास केन्द्रों में क्लीनिकल प्रोटोकॉल अनुसार औषधियों की प्रदायगी एवं जांच हेतु प्रभारी चिकित्सकों से समन्वय करना।
    - पोषण पुनर्वास केन्द्र में पदस्थ पोषण प्रशिक्षक, केयर टेकर, कुक एवं सफाई कर्मी द्वारा संपादित कार्य का मूल्यांकन करना।
    - समय समय पर उक्त कर्मचारियों का दैनिक कार्य के दौरान ही कार्य स्थल पर उन्मुखीकरण करना।
    - भ्रमण के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्रों में प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना एवं कार्यरत अमले का निर्धारित मानकों पर उन्मुखीकरण करना।
    - भ्रमण के दौरान संधारित अभिलेखों की जांच करना एवं पाई गई विसंगतियों हेतु सुधारात्मक कार्यवाही करना।
    - समस्त पोषण पुनर्वास केन्द्रो में राज्य स्तर से जारी दिशानिर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुदृढ करने में जिले को सहयोग प्रदान करना।
    - पोषण पुनर्वास केन्द्रों द्वारा प्रेषित रिपोर्टस एवं एन.आर.सी. एम.आई.एस. में दर्ज रिपोर्टस का सत्यापन कर सुधारात्मक कार्यवाही करना।

2. महिला पोषण प्रशिक्षक

- **<u>अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता</u>**– बी.एस.सी., फूड एण्ड न्यूट्रीशन/क्लीनिकल न्यूट्रिशन एण्ड डायटेटिक्स/बी.एस.सी. होम साईन्स फूड एण्ड न्यूट्रीशन
- **<u>न्यूनतम मूल मासिक मानदेय :– ₹ 12,000/–</u>**
- **<u>कार्यावधि</u> – प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक**
- **<u>कार्यदायित्व</u>**
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं आशा सहयोगीनी से समन्वय स्थापित कर गंभीर कुपोषित बच्चों की ड्यू लिस्ट का संधारण करना।
    - ड्यू लिस्ट में पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिफॉल्टर लामा/नॉन रिस्पाडर वाले गंभीर कुपोषित बच्चों को भी शामिल किया जाना सुनिश्चित करे।
    - सी.यू.जी. सिम का उपयोग कर सी.डी.पी.ओ., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा से समन्वय स्थापित कर ड्यू लिस्ट के आधार पर गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र की बेड आक्यूपेंसी शत–प्रतिशत सुनिश्चत करना।
    - निर्धारित मापदण्डानुसार ही गंभीर कुपोषित बच्चे की भर्ती सुनिश्चित करना।
    - भर्ती हेतु लाए गए समस्त बच्चों को सर्वप्रथम 50 एम.एल. 10% शक्कर का घोल पिलाया जाना सुनिश्चित करना।
    - भर्ती अवधि में मानक प्रबंधन सुनिश्चित करना।
    - माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
    - भर्ती बच्चे का वज़न प्रतिदिन निर्धारित समय पर, सामान्यतः सुबह लिया जाना सुनिश्चित करना।

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती हेतु एवं भर्ती उपरांत प्रतिदिन की जाने वाली समस्त Anthrpometric मापन अनिवार्यतः करना।
- आहार योजना बनाने एवं भोजन खिलाने संबंधित कार्य

- प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना।
- 24 घंटे के फूड इन्टेक चार्ट की समीक्षा कर अगले दिन के आहार की योजना बनाना।
- ओ.पी.डी के दौरान स्वास्थ्य संस्था की ओ.पी.डी/ आई.पीडी में प्रतिदिन जाकर गंभीर कुपोषित बच्चों की स्कीनिंग एवं रेफरल सुनिश्चित करना।
- प्रतिदिन पी.एन.सी. वार्ड में जाकर, ऐसे नवजात शिशु जिनका वज़न 2.5 कि.ग्रा. से कम है उनकी माताओं आई.वाय.सी.एफ पद्धति पर परामर्श देना एवं यदि संभव हो तो सप्लीमेन्ट्री तकनीक द्वारा माताओं के स्तनपान की समस्याओं का निदान सुनिश्चित करना।
  - **पोषण पुर्नवास केन्द्र के अभिलेख संधारण एवं प्रलेखन संबंधित कार्य :**
    - हर दिन नियत समय पर प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं सैम चार्ट में प्रतिदिन प्रविष्टि करना।
    - पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त अभिलेख एन.आर.सी. रजिस्टर में संधारित करना।
  - **प्रबंधन संबंधित कार्य :**
    - बच्चे को आई.ए.पी. की अनुशंसाओं के अनुरूप समस्त सेवाएं प्राप्त होना सुनिश्चित करना।
    - सफाईकर्मी द्वारा रसोई घर, शौचालय/स्नान–घर, वार्ड एवं कम्पाउन्ड की साफ सफाई सुनिश्चित कराना।
    - पदस्थ स्टाफ का सुपरविज़न कर सुनिश्चित करना कि भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाइयां एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो।
    - पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा रखना एवं आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    - पोषण पुर्नवास केन्द्र की समस्त सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
    - नर्स, रसोइया, केयर टेकर एवं स्वीपर के कार्य का प्रबंधन करना।

3. ए.एन.एम.

- <u>अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता</u>– किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र से 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थी
- **<u>न्यूनतम मूल मासिक मानदेय :– ₹ 10,000/–</u>**
- **<u>कार्यावधि</u>** –
  - **10 बिस्तरीय–** प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक एवं अपरान्ह 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
  - **20 बिस्तरीय** – प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक, अपरान्ह 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक
- **<u>कार्यदायित्व</u>**
  - भर्ती के समय हर बच्चे का तापमान कम हो जाने (Hypothermi), रक्त में शक्कर की मात्रा कम हो जाने (Hypoglycemi) एवं निर्जलीकरण (Dehydration) का उपचार/ रोकथाम, डॉक्टर की देखरेख सुनिश्चित करना।
  - केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना।
  - भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को मानक मानदण्ड अनुसार एवं नियत समय सारणी अनुरूप विटामिन "ए", मल्टी विटामिन आदि आवश्यक खुराक प्रदाय करना।
  - भर्ती बच्चे का तापमान प्रतिदिन दो बार निर्धारित समय पर, सामान्यतः सुबह एवं शाम लिया जाना सुनिश्चित करना।
  - डाक्टर के कहे अनुसार हर बच्चे को दवाइयां देना एवं इंजेक्शन लगाना।
  - डॉक्टर द्वारा बताई गई आवश्यक जांचों के लिए नमूने लेना।

- डॉक्टर के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना।
- हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके, सुनिश्चित करना।
- मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Mother & Child Protection Card), आगे की जाने वाली कार्यवाही का कार्ड (Follow up Card), केस हिस्ट्री एवं अन्य आवश्यक जानकारी को रजिस्टार में अंकित करना।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद संबंधी सूची बनाना।

4. महिला कुक

- **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता**– 10वी उत्तीर्ण
- **न्यूनतम मूल मासिक मानदेय :– ₹ 5,000/–**
- **कार्यावधि** –
  - **10 बिस्तरीय**– प्रातः 06:00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक
  - **20 बिस्तरीय** – प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक एवं अपरान्ह 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
- **कार्यदायित्व**
  - पोषण प्रशिक्षक के निर्देश अनुरूप बच्चों के लिए आहार तैयार करना। (सामग्री की सही नाप–तौल पर विशेष ध्यान देना)
  - भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु समस्त चिकिसकीय आहार जैसे एफ –75, एफ –100 एवं स्पेशल फीड को सदैव आवश्यकतानुसार ताज़ा एवं सही नाप–तौल कर बनाना।
  - नियत समय सारणी अनुरूप भोजन का वितरण करना एवं पोषण प्रशिक्षक को प्रत्येक बच्चे को दिए गए आहार संबंधी अभिलेख अंकित करने में मदद करना।
  - माताओ को बच्चो को दिए गए आहार को खिलाने में मदद करना।
  - रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना।
  - भोजन साफ सफाई से तैयार करना सुनिश्चित करना
  - खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनो को साफ करना।
  - पोषण प्रशिक्षक को खाद्य सामग्री खरीदने में मदद करना।
  - सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दें।

5. महिला केयर टेकर

- **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता**– 8वी उत्तीर्ण
- **न्यूनतम मूल मासिक मानदेय :– ₹ 5,000/–**
- **कार्यावधि** –
  - **10 बिस्तरीय**– अपरान्ह 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
  - **20 बिस्तरीय** – प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक, अपरान्ह 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक
- **कार्यदायित्व**
  - वार्ड, शौचालय, स्नान घर, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई सुनिश्चित करना।
  - भर्ती प्रत्येक बच्चे एवं उसके माता/ परिजन की व्यक्तिगत साफ–सफाई सुनिश्चित करना।
  - पोषण पुर्नवास केन्द्र की समस्त सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - महिला कुक को सभी बच्चों को आहार वितरण करने में मदद करना।
  - प्रत्येक मां अपने बच्चे को दी गई चिकिसकीय आहार खिलाएं यह सुनिश्चित करना एवं इसकी जानकारी आहार तालिका (Feeding Chart) में नियमित रूप से दर्ज करने में मदद करना।
  - प्रत्येक बच्चे का मनो सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - प्रत्येक बच्चे की हर समय, विशेषतः खेलते समय सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- सायं एवं रात्रि के समय आवश्यकता अनुसार बच्चों को चिकिसकीय आहार देना।
- रसोईया की अनुपस्थिति में उसके कार्य करना।
- पोषण प्रशिक्षक के चाहे जाने पर रसोई के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री खरीद कर लाना।
- सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दें।

6. सफाई कर्मी

- <u>कार्यावधि</u> – प्रातः 08:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक
- **<u>न्यूनतम मूल मासिक मानदेय :– ₹ 5,000/–</u>**
- **<u>कार्यदायित्व</u>**
  - प्रति दिन सुबह, दोपहर और सांय काल निश्चित समय सारणी अपुरूप वार्ड, शौचालय, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ– सफाई सुनिश्चित करना।
  - पोषण पुर्नवास केन्द्र में जालों की सफाई करना।
  - वार्ड, शौचालय/ स्नान घर में फिनाईल से दिन में तीन बार एवं आवश्यकता अपुरूप कहे जाने पर सफाई करना।

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु

- **पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु समस्त संविदा पदों की नियुक्ति की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।**
- समस्त संविदा पदों की नियुक्ति बावत पोषण पुनर्वास केन्द्र के मुख्यालय स्थान पर निवासरत अभ्यार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।
- महिला पोषण प्रशिक्षकों की संविदा नियुक्ति हेतु चयन मापदण्ड पूर्ववत रहेंगे जो कि पुनः सुलभ संदर्भ हेतु **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है।
- उपरोक्त चयन मापदण्ड अनुसार जिला स्तरीय विज्ञप्ति जारी की जाये एवं कुल 100 अंकों में से अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जाये।
- आरक्षण नियमों का पालन करते हुये सर्वोच्च मैरिट स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को पोषण पुनर्वास केन्द्र में पोषण प्रशिक्षक के पद पर संविदा नियुक्ति दी जाये।
- महिला कुक एवं केयर टेकर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला स्तरीय विज्ञप्ति जारी की जाये एवं आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये जिलांतर्गत विभिन्न पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर इनकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- चयन उपरांत संविदा पोषण प्रशिक्षक, स्टाफ नर्स/ए.एन.एम., महिला कुक एवं केयर टेकर द्वारा अनिवार्य रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र के मुख्यालय स्थान पर ही निवास किया जाये।
- समस्त संविदा पदों की संविदा अवधि नियुक्ति दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की होगी, जिसे वार्षिक कार्ययोजना एवं किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा आधार पर कार्यरत समस्त महिला कर्मचारियों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पद पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी द्वारा त्याग–पत्र देने की स्थिति में 1 माह का पूर्व नोटिस अथवा 1 माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि शासन को दी जाना होगी एवं असंतोषजनक कार्य होने पर शासन द्वारा एक माह के पूर्व नोटिस पर संविदा कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- **उपरोक्तानुसार समस्त संविदा पदों की नियुक्ति पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।**

संविदा मानव संसाधन हेतु सामान्य निर्देश–

- **एन.आर.सी. मापदण्डों में प्रशिक्षण प्राप्त पैरामेडिकल ए.एन.एम./स्टाफ नर्स को पोषण पुर्नवास केन्द्र में पदस्थ किया जाये एवं किसी अन्य कार्य में न संलिप्त किया जाये।**
- **रात्रीकालीन परिचारिका सेवायें हेतु अनिवार्यतः संस्थागत स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. की व्यवस्था सुनिश्चित हो।**
- **महिला पोषण प्रशिक्षक के मातृत्व अवकाश पर होने के स्थिति में वैकल्पिक स्टाफ की व्यवस्था की जाये एवं वैकल्पिक स्टाफ के कार्य की निगरानी जिला पोषण सलाहकार द्वारा स्वयं की जाये।**

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं पदस्थ समस्त संविदा स्टाफ का नाम वार (मोबाईल नम्बर सहित) ड्यूटी रोस्टर बनाया जाये एवं इसका अनिवार्यतः प्रदर्शन पोषण पुनर्वास केन्द्र में सुनिश्चित किया जाए।
- वर्ष 2015–16 हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र में पदस्थ समस्त संविदा कर्मचारियो का कार्य आधारित मूल्यांकन कर निरंतरता के संबंध में कार्यवाही कर राशि ₹100/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
- समस्त कर्मचारियों को पोषण पुनर्वास केन्द्र मुख्यालय स्थान पर रहना अनिवार्य है, अतः यदि किसी संविदा पोषण प्रशिक्षक, ए.एन.एम., स्टाफ नर्स, केयर टेकर एवं कुक द्वारा मुख्यालय पर न रहने की सूचना प्राप्त हो तो ऐसे कर्मचारी की निरंतरता के संबंध में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया जाए।
- लगातार 3 दिवस की शासकीय अवकाश होने पर शासकीय अवकाश दिवस पर भी गंभीर कुपोषित बच्चों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने हेतु मानव संसाधन को पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपस्थित होना होगा।
- **चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में 03 दिवस से अधिक निरंतर अवकाश की पात्रता पोषण पुनर्वास केन्द्र के संविदा कर्मचारियों को नहीं होगी।**
- पोषण पुनर्वास केन्द्रों में पदस्थ समस्त संविदा कर्मचारियो को साप्ताहिक एक अवकाश दिवस की पात्रता है, जिसका रोस्टर तैयार किया जाए।
- **प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के विशिष्ट ए.एन.एम. की स्वीकृति कार्ययोजना में दी गई है, अतः प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र एक डेडिकेटड ए.एन.एम. चिन्हित कर अनिवार्यतः पदस्थ किया जाए।**
- पोषण पुनर्वास केन्द्रों के मानव संसाधन संबंधी उक्त दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए 10 एवं 20 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्रों में संविदा ए.एन.एम. के साथ क्रमशः 1 एवं 2 नियमित ए.एन.एम./स्टाफ नर्स की नियुक्ति व उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि गंभीर कुपोषित बच्चों को दी जाने वाली चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित न हो।

संलग्न – अनुलग्नक 1

(फैज़ अहमद किदवई)
मिशन संचालक
एन.एच.एम,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2015/5569 **भोपाल, दिनांक 26/05/2015**
प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. **प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।**
2. **आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।**
3. **संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, , भोपाल, मध्यप्रदेश।**
4. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।**
5. **समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।**
6. **समस्त अधिष्ठाता, मेडीकल कॉलेज, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर, म.प्र.।**
7. **पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।**
8. **डिप्टी टीम लीडर, एम.पी.टास्ट, मध्यप्रदेश।**
9. **राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, एम.आई., मध्यप्रदेश।**
10. **समस्त जिला MO NRC, मध्यप्रदेश।**
11. **समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
12. **समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
13. **समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
14. **समस्त जिला पोषण सलाहकार, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
15. **समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश – निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।**

मिशन संचालक
एन.एच.एम,मध्यप्रदेश